


कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
वनादेश सं० १० / १-१४(४) देहरादून दिनांक ०५, जनवरी २०२२

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं० ०१/१-१४(४) दिनांक १६.०१.२०२१ के क्रम में विनियमितीकरण के द्वितीय चरण हेतु दिनांक १०.०४.१९९६ से पूर्व कार्यरत दैनिक श्रमिकों की सूची संलग्न कर निर्गत की जाती है।


उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में दिये गये दिशा निर्देशों के अतिरिक्त संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र भी कार्मिकों से लिया जाना सुनिश्चित करें। विनियमितीकरण में वर्तमान शासनादेशों के तहत समस्त प्रकार के आरक्षण एवं रोस्टर व्यवस्था का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।


(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मा०सं०वि०एवंका०प्र०,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक ११८० / १-१४(४) दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक सहित प्रेषित:-

१. समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
 २. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
 ३. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
 ४. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन आई०टी० एवं आधुनिकीकरण को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
 ५. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
 ६. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी उत्तराखण्ड।
 ७. गार्ड फाइल।
- संलग्नक- उपरोक्तानुसार।


(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक,
मा०सं०वि०एवंका०प्र०,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.G.C
K. K. K. K. K.
पेश करे
C.C.F.

दैनिक श्रमिकों के विनियमितीकरण से पूर्व लिए जाने वाले शपथ पत्र के विषयवस्तु का प्रारूप

मैं पुत्र/पुत्री/पति श्री..... एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :

1. मैं दिनांक से वन प्रभाग में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हूँ तथा मैं समूह घ के रिक्त पदों के सापेक्ष विनियमितीकरण के इच्छुक हूँ।
2. मेरे द्वारा विनियमितीकरण/सेवायोजन/सेवानिवृत्ति लाभ आदि के संबंध में किसी भी मा० न्यायालय में वाद नहीं किया है, न ही पूर्व में योजित कोई वाद लंबित है न ही भविष्य में किसी प्रकार का दावा करूँगा/करूँगी।
3. मेरे द्वारा विनियमितीकरण/सेवायोजन/सेवानिवृत्ति लाभ आदि के संबंध निम्न वाद मा० न्यायालय में योजित किया है था जो निम्न प्रकार है जिसे मेरे द्वारा विनियमितीकरण में पात्र पाए जाने पर स्वयं वापस लिया गया है।

वादों का विवरण


- 1.
- 2.
- 3.

4. मेरे विनियमितीकरण होने पर विनियमितीकरण के तिथि को उत्तराखण्ड राज्य में लागू सेवा एवं सेवानिवृत्ति लाभ संबंधित समस्त नियम व शासनादेश तथा भविष्य में लागू किए जाने वाले समस्त नियम व शासनादेशों के अंतर्गत कार्य करूँगा/करूँगी तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के सेवा या सेवानिवृत्ति लाभ हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूँगा/करूँगी।

नाम व हस्ताक्षर कार्मिक

नाम व हस्ताक्षर साक्षी 1

नाम व हस्ताक्षर साक्षी 2


5.1.2022